उत्तर प्रदेश शासन
ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,
संख्या-16/2019/281/92-2-19-40जांच/2017
लखनऊ:: दिनांक:: 29 जनवरी,2019

कार्यालय-ज्ञाप

जनपद-चित्रकूट में डॉ0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना के अंतर्गत कतिपय मार्गो के सी0सी0 रोड एवं के0सी0 ड्रेन तथा खण्डजा व नाली के निर्माण कार्यो की मुख्य प्राविधिक परीक्षक, टी0ए0सी0 की जांच आख्या में परिलक्षित शासकीय क्षति मु0 रू0 6,664.00 हेतु प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-12/2018/192/92-2-18-40जांच/2017 दिनांक 24-01-2018 द्वारा श्री बालकृष्ण, तत्का0 अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-चित्रकूट सम्प्रति अलीगढ के विरूद्ध उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-7 के अंतर्गत अनुशासनिक जांच संस्थित करते हुये जांच के सम्पादनार्थ अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-झांसी को पदेन जॉच अधिकारी नामित किया गया। जांच अधिकारी/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परि0-झांसी के पत्र सं0-766/अनु0जां0 /ग्रा0अ0वि0/2018-19 दिनांक 06-09-2018 द्वारा जॉच आख्या शासन में उपलब्ध करायी गयी।

2- अपचारी अधिकारी पर अधिरोपित आरोप, जांच अधिकारी/ अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परि0-झांसी की जॉच आख्या व अन्य संगत अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त श्री बालकृष्ण, तत्का0 अधिशासी अभियंता पर अधिरोपित एक मात्र आरोप स्थापित नही पाया गया है। अतएव श्री बालकृष्ण, तत्का0 अधिशासी अभियंता, ग्रा0अ0वि0, प्रखण्ड-चित्रकूट सम्प्रति अलीगढ के विरूद्ध शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 24-01-2018 द्वारा संस्थित अनुशासिनक कार्यवाही को बिना किसी दण्ड के समाप्त किये जाने की एतदद्वारा श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

मो0 इफ्तेखारूददीन
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-16/2019/281/(1)/92-2-2019 तददिनांक।

प्रतिलिति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
2- श्री बालकृष्ण, तत्का0 अधि0अभि0,प्रखण्ड-चित्रकूट सम्प्रति अलीगढ द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
3- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अवध नारायण)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in